


बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

—: आदेश :—

सं० :-11/डी०-05-04/2024- 1431 /पटना, दिनांक :- 1/4/25

श्री सरफराज अहमद (आई०डी०-5667), सहायक प्राध्यापक, जल विज्ञान, वाल्मी, पटना को पूर्णकालिक रूप से अगले आदेश तक अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान नियमानुसार उनके मूल पदस्थापित स्थान से पूर्ववत् होता रहेगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



01/04/2025
(राकेश कुमार कमल)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:-11/डी०-05-04/2024- 1431

पटना, दिनांक :- 1/4/25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, एम० आई० एस० कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन

विभाग, पटना [Common integrated website (www.state.bihar.gov.in)] पर प्रकाशित करने एवं वित्त विभाग को सी० डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी 10 (निजी संचिका में संधारण हेतु), 15, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।